UPAG010061542026

न्यायालय Additional District and Session Judge,Court No-14, Agra
पीठासीन अधिकारी– (Smt. Jyotsna Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06261**

<u>जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2609/2026</u>

विक्की परमार पुत्र अतर सिंह, निवासी–ग्राम सासनी कोटला चुंगी रोड, जनपद फिरोजाबाद। हाल निवासी–राधा नगर चर्च रोड, थाना सिकन्दरा, जिला आगरा, उम्र करीब 27 वर्ष

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोगी

मु0अ0सं0 123/2026
धारा–317(2) व 317(5) भा0न्या0सं0
थाना–न्यू आगरा, जिला आगरा

<u>दिनांकः–10.06.2026</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त विक्की परमार द्वारा मु0अ0सं0 123/2026, धारा–317(2) व 317(5) भा0न्या0सं0, थाना–न्यू आगरा, जिला आगरा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त की मां श्रीमती सरिता परमार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। एक अनुपूरक शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

वादी मुकदमा द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 31.03.2026 को उपनिरीक्षक श्री सोनू कुमार द्वारा अभियुक्त विक्की परमार को उसके साथी सहअभियुक्तगण के साथ पकड़ा गया, जिनके कब्जे से पूर्व में दर्ज मुकदमों से संबंधित चोरी की चार अदद मोटरसाइकिल एवं एक घटना में प्रयुक्त एक अदद ऑटो बरामद किया गया, जिनको उनके द्वारा चोरी का जानते हुए भी अपने कब्जे में रखा गया था। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर थाना न्यू आगरा पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 123/2026, अंतर्गत धारा 317(2) व 317(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे उक्त मामले में झूंठा फंसाया गया है। उपरोक्त घटना फर्जी बरामदगी पर दर्ज की गयी है, जिससे प्रार्थी/अभियुक्त का किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस द्वारा फर्जी बरामदगी दर्शा कर फर्द रिपोर्ट में किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी को दर्शाया नहीं गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.03.2026 से जिला कारागार आगरा में निरुद्ध

है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 16.05.2026 अवर न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त को सहअभियुक्त के साथ चोरी की मोटरसाइकिल सहित पकड़ा गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। इन्हीं आधारों पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभिुक्त पर आरोप है कि पुलिस पार्टी द्वारा उसे पकड़े जाने पर उसके एवं उसके सहअभियुक्तगण के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुईं। बरामदगी के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं है। अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त जमानत प्रार्थनापत्र के अनुसार दिनांक 31.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

अतः अभियोग की प्रकृति तथा प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना जमानत हेतु दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार अभियुक्त **विक्की परमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **विक्की परमार पुत्र अतर सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/—रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएः—

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।
4. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ज्योत्सना सिंह-I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0 14, आगरा

दिनांकः 10.06.2026

Digitally signed by JYOTSNA SINGH
Date: 2026.06.10 11:58:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court